—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 126/2019

उनवान

1. रामनाथ
2. गोरधन (फौत) जरियें वारिसान
2/1. रसाल पत्नी गोरधन
2/2. दिनेश पुत्र गोरधन
2/3. नन्दू पुत्री गोरधन
2/4. काली पुत्री गोरधन
2/5. मधु पुत्री गोरधन
3. रामचन्द्र पि. सुरजमल उर्फ सुरा (फौत) जरियें वारिसान
3/1. कान्ता पत्नी रामचन्द्र
3/2. रेखा पुत्री रामचन्द्र
3/3. मुकेश पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री नेरन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. कंचन पुत्री ताराचन्द
2. केसर पत्नी ताराचन्द **(फौत तर्क)**
3. भागचन्द पुत्र ताराचन्द
4. गोपाल पुत्र नारायण
5. सुन्दर पत्नी नारायण **(फौत तर्क)**
6. सांवरलाल पुत्र सुगना समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
7. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1, 3, 4, 6 व 7 अनुपस्थित,
8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25/9/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा की वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी है, जिसका विवरण निमन प्रकार है :—

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
461	0–14–0	499	0.10	582	0.10
471	1–5–0	505	0.22	581	0.22
504	1–11–0	579	0.25	593	0.25
505	1–2–0	580	0.18	594	0.18

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 461, 471, 504, 505 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023–26 में वादीगण के पिता सूरजमल उर्फ सुरा पि. उदा की खातेदारी में दर्ज थे। आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। चौसाला खसरा नम्बर की उकत आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 499, 505, 579 व 580 तथा उनके हाल खसरा नम्बर 582, 581, 593, 594 वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 7 ने आराजी मुतनाजा पर गैर कानूनी रूप से ऋण अदा किया है। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दोरान वादी संख्या 2 व 3 की मृत्यु होने के कारण उनके वारिस रिकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का नाम तर्क किया गया। प्रतवादी संख्या 1, 3, 4, 6 व 7 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथावादी रामनाथ का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम दिलवाडा के उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 461, 471, 504, 505 रकबा क्रमशः 0–14–0, 1–5–0, 1–11–0, 1–2–0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023–26 में वादीगण के पिता सूरजमल उर्फ सुरा पि. उदा की खातेदारी में दर्ज थे। जो चौसाला जमाबंदी से सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने कबजे के समर्थन में वादी रामनाथ का शपथ पत्र पेश किया है। चौसाला खसरा नम्बर की उकत आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 499, 505, 579 व 580 तथा उनके हाल खसरा नम्बर 582, 581, 593, 594 वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी नामान्तरण अथवा आदेश परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल व साक्ष्य के शपथ पत्र से वाद के कथनो की ताईद होती है। प्रतिवादी संख्या 7 ने आराजी मुतनाजा पर गैर कानूनी रूप से ऋण अदा किया है। जो वादीगण के हितों पर अप्रभावी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता हैं

––3

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:33:05 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 582, 581, 593, 594 रकबा क्रमशः 0.10, 0.22, 0.25 व 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:03:05 IST
Reason: SelfAttested